प्राक्कथन

मार्च 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया है।

राजस्व प्राप्तियों - संघ सरकार के प्रत्यक्ष करों की लेखारीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियों एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है। यह प्रतिवेदन प्रत्यक्ष कर के अन्तर्गत लेखापरीक्षा समीक्षाओं के परिणामों तथा प्राप्तियों के मूल्यांकन को प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन को निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित किया गया हैः-

(i) अध्याय 1 में नौपरिवहन और संबंधित क्षेत्रों के लिए छूटों, कटौतियों और अनुमतियों पर की गई समीक्षा के परिणाम अन्तर्विष्ट हैं।

(ii) अध्याय 2 में आधारभूत विकास उपक्रमों के अतिरिक्त कुछ उपक्रमों से लाभ एवं अभिलाभ की कटौतियों (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 आईबी के अन्तर्गत कटौतियां) पर समीक्षा के परिणाम अन्तर्विष्ट हैं।

(iii) अध्याय 3, में आयकर विभाग की ई-टीडीएस प्रणाली की आईटी लेखापरीक्षा के परिणाम अन्तर्विष्ट हैं।

इस प्रतिवेदन में शामिल की गई अभ्युक्तियों का 2007-08 के दौरान और उन पूर्ववर्ती वर्षों में की गई नमूना जांच के निष्कर्षों से चयन किया गया है जिन्हें पिछले वर्षों के प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया जा सका।